अति–आवश्यक

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर।

कमांकः– एफएसएसए/2014/ दिनांकः–

–::आदेश::–

प्रायः देखने में आया है कि राजस्थान में खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011 के तहत् नमूनीकरण एवं निरीक्षण की मासिक रिपोर्ट, विशेष अभियानों की रिपोर्ट और विधानसभा प्रश्नों का जवाब समय पर नहीं भिजवाया जाता है जिसके कारण समय पर उक्त एक्ट के तहत दी जानी वाली सूचना के लिये विलम्ब होता है। जबकी आपके कार्यालय में एफएसएसए के कार्य हेतु कम्प्यूटर मशीन वीथ मैन के लिए बजट भी उपलब्ध करा दिया गया हैं।

अतः आपको अंतिम आदेश दिया जाता है कि खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के तहत् कियान्वतियां/अन्य सूचना समय पर भिजवावे अन्यथा आपके विरूद्ध एक तरफा अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जावेगी। जिसकी पूरी जिम्मेदारी आप स्वयं की होगी।

खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के तहत् कियान्वतियां/अन्य सूचना हर माह की 2 तारीख को सांय 6 बजे तक उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) एवं
निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एंव स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान जयपुर।

कमांकः– एफएसएसए/2014/ 767 **दिनांकः–** 16/9/2014

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

01. अति० निदेशक (ग्रा० स्वा०), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान।
02. संयुक्त निदेशक (ग्रा० स्वा०) एवं नोडल अधिकारी (एफएसएसए), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान।
03. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन राजस्थान को भेजकर लेख है कि आपके अधीन अधिकृत खाद्य सुरक्षा अधिकारी कों खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के तहत् कियान्विति/विधानसभा की सूचना दिये जाने हेतु पाबन्द किया हुआ है लेकिन उनके द्वारा आदेशों की पालना नहीं की जा रही है। अतः आप अपने स्तर से पाबन्द करें की समय पर एफएसएस एक्ट के तहत् सूचना उपलब्ध करवावें अन्यथा उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जावे।
04. समस्त अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान को भेजकर लेख है कि आपके अधीन अधिकृत खाद्य सुरक्षा अधिकारी कों खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के तहत् कियान्विति/विधानसभा की सूचना दिये जाने हेतु पाबन्द करें कि उक्त एक्ट के तहत् दी जाने वाली समस्त सूचनाऐं आपसे सम्बंधित जोन के माध्यम से भिजवावें। यदि आपके द्वारा दिये गये आदेशों की पालना यदि अधिकृत खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा नहीं की जाती है तो एफएसएस एक्ट के तहत् सूचना उपलब्ध नहीं करवानें पर अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जावे।
05. मुख्य खाद्य विश्लेषक, केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को भेजकर लेख है कि एफएसएस एक्ट के तहत समस्त कियान्विति/विधानसभा/आरटीआई के प्रश्नों का उत्तर समय पर भिजवावें।
06. समस्त जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, राजस्थान को भेजकर लेख है कि एफएसएस एक्ट के तहत् समस्त कियान्विति/विधानसभा प्रश्नों का उत्तर समय पर केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला के माध्यम से निदेशालय भिजवावे साथ ही आरटीआई की सूचना नियमानुसार सीधे ही आवेदक को उपलब्ध कराते हुए लोक सूचना अधिकारी मुख्यालय को भी अवगत करावें।
07. प्रभारी, केन्द्रीय दल मुख्यालय को तुरन्त पालनार्थ।
08. समस्त अधिकृत खाद्य सुरक्षा अधिकारी राजस्थान को तुरन्त पालनार्थ।
09. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करे।
10. आदेश/रक्षित पत्रावली।

आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) एवं
निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एंव स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान जयपुर।